

सेवामें,

श्रीमान् केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
रायसिना रोड़, नई दिल्ली.

REC'D
R.R. CELL
Date: 28/3/13
28/3/13

28/3/13

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत धारा 6 सूचना प्रदान करने हेतु।

महोदयजी,

निम्नलिखित सूचना प्रदान की जावे :-

1. रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों को नियुक्त किये जाने तथा उनके ड्यूटी समय एवं विश्राम के सम्बन्ध में जानकारी दिलाई जावे तथा सम्बन्धित रेलवे बोर्ड के सर्कुलर की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाई जावे।
 2. रेलवे में वे स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक जिनकी नियुक्तियां चिकित्सा विभाग में हुई है तथा केडर चिकित्सा विभाग में ही है किन्तु रेलवे कॉलोनियों के (साथ-साथ चिकित्सा विभाग के कार्य) सहित स्टेशनों पर भी स्टेशन अधीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में दिन-प्रतिदिन कार्यों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं उनके अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित अनुशासनात्मक अधिकारियों के विषय में जानकारी प्रदान की जावे तथा सम्बन्धित रेलवे बोर्ड के सर्कुलर की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाई जावे।
 3. किसी अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अन्तर्गत जारी अनुदेशों को कर्तव्यनिष्ठा से अनुसरण नहीं करने तथा नियमों की जान-बूझकर उल्लंघन करने पर उन अनुशासनात्मक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाई जावे।
 4. अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा जारी आरोप पत्र शासकीय मुहर के सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है अन्यथा तकनिकी आधार पर त्रुटिपूर्ण एवं निरस्त होने के सम्बन्ध में जानकारी तथा इससे सम्बन्धित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाई जावे।
 5. नवनियुक्त स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों के रेलवे में 6 माह की इन्डक्शन ट्रेनिंग कराने सम्बन्धी जानकारी तथा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाई जावे।
 6. स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों के स्थानान्तरण बाबत रेलवे बोर्ड की पॉलिसी "सम्बन्धी जानकारी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाई जावे।
 7. स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षकों के नियंत्रण में रहते हुए वाणिज्य निरीक्षकों के स्टेशनों पर सफाई के सम्बन्ध में भूमिका की जानकारी दिलाई जावे।
 8. कोई भी रेलसेवक एक समय पर एक से अधिक विभाग में कार्य नहीं कर सकता है, उस समय उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल एक विभाग द्वारा ही की जायेगी, इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाई जावे।
- क्या फीस के संदाय संलग्न कर दिया है- हाँ (10/- रूपयें का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं. 34f920364 HFO-भीलवाड़ा संलग्न है)

मैं यह कथन करता हूँ कि चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तविष्ट निबन्धन के अन्तर्गत नहीं आती है।

भारतीय नागरिक होने के सम्बन्ध में आधार कार्ड की फोटोप्रति संलग्न है।

स्थान :- भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक : 18.03.2016

सूचना निम्न पते पर प्रेषित की जावे:-


श्री सुशील कुमार टेलर

6-डी-42, 43, चन्द्रशेखर आज़ाद नगर

भीलवाड़ा (राज.) 311001

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर
सुशील कुमार टेलर

(M) 9587489707



भारत सरकार

Government of India

सुशील कुमार टेलर
Sushil Kumar Tailor
जन्म तिथि / DOB : 01/02/1977
पुरुष / Male



7737 5981 9125

आधार - आम आदमी का अधिकार

self
Aff
S



भारतीय पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: लाल टेलर, 63/42, चंद्र
शेखर आज़ाद नगर, भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान,
311001

Address:
S/O: Ladu Lal Tailor, 6D42,
CHANDRA SHEKHAR AZAD
NAGAR, Bhiwara, Bhiwara,
Rajasthan, 311001

7737 5981 9125

1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

self
Aff
S